मध्य प्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल

विषय :– राज्य स्तरीय मध्य प्रदेश उद्योग निवेश संवर्धन सहायता समिति की सत्रहवीं बैठक, दिनांक 09.07.2012 का कार्यवाही विवरण।

———

मध्य प्रदेश उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना–2004 के अन्तर्गत गठित राज्य स्तरीय उद्योग निवेश संवर्धन सहायता समिति की सत्रहवीं बैठक दिनांक 09.07.2012 को अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य उद्योग और रोजगार विभाग की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में संलग्न परिशिष्ट–1 अनुसार समिति के सदस्य एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में प्रस्तुत एजेण्डा बिन्दुओं पर निम्नानुसार चर्चा हुई एवं निर्णय लिये गयेः–

1. **एजेण्डा क्रमांक–1** समिति की सोलहवीं बैठक दिनांक 25.02.2012 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई।
2. **एजेण्डा क्रमांक–2** सदस्य सचिव द्वारा समिति की सोलहवीं बैठक दिनांक 25.02.2012 का पालन प्रतिवेदन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति निम्न जानकारी से अवगत हुई–

   (अ) मध्य प्रदेश उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना–2004 के अंतर्गत उत्पादन प्रारंभ करने के पश्चात् पंजीयन हेतु विलंब से किये गये आवेदन एवं विलंब के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार समिति द्वारा लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इकाई के पक्ष में पंजीयन जारी किये जाने की जानकारी दी गई।

   (ब) बैठक में स्वीकृत क्लेम प्रकरणों में 15 प्रकरणों में राशि वितरण किये जाने की जानकारी दी गई। वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा विगत बैठक में स्वीकृत एक प्रकरण को छोड़कर अन्य प्रकरणों में लिये गये निर्णय पर सहमति व्यक्त की गई। मेसर्स कमल कॉटस्पिन प्रा.लि. जिला बुरहानपुर के संबंध में यह अवगत कराया कि इकाई द्वारा टीडीएस के रूप में निवेश संवर्धन सहायता राशि से अधिक राशि कटौत्रा कर अपने पास रखी है अतः इकाई को वर्ष 2009–10 हेतु सहायता की पात्रता नहीं होनी चाहिए। समिति द्वारा इस संबंध में विचारोपरांत यह पाया गया कि मेसर्स कमल कॉटस्पिन प्रा.लि. का प्रकरण सर्वप्रथम बैठक दिनांक 16.11.2011 में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था जिसमें वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा ली गई आपत्ति के आधार पर प्रकरण इकाई की टीडीएस संबंधी स्थिति स्पष्ट होने तक विलंबित रखा गया था। बैठक दिनांक 25.02.2012 में वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा इकाई के संबंध में टीडीएस की स्थिति स्पष्ट किये जाने के पश्चात् ही समिति द्वारा इकाई के पक्ष में राशि रू. 14,80,500.00 सहायता स्वीकृत की गई है। समिति के समक्ष वाणिज्यिक कर विभाग के प्रतिनिधि द्वारा इकाई के संबंध में पत्र दिनांक 21.06.2012 से स्थिति स्पष्ट कर टीडीएस कटौत्रा राशि का विवरण देते हुए

इकाई को उद्योग निवेश संवर्धन सहायता की स्वीकृति राशि पर पुनर्विचार करने का प्रस्ताव दिया जाना अवगत कराया गया।

समिति द्वारा विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया कि वाणिज्यिक कर विभाग इकाई द्वारा टीडीएस के रूप में रोकी गई राशि तथा इकाई को प्रदान की जा सकने वाली निवेश संवर्धन सहायता राशि के संबंध में परीक्षणोपरांत प्रकरण पुनः समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाये।

3. **<u>एजेण्डा क्रमांक–3 :</u>** इकाईयों द्वारा उत्पादन प्रारंभ करने के पश्चात योजनांतर्गत पंजीयन हेतु विलंब से आवेदन प्रस्तुत करने पर विलंब को शिथिल करने पर विचार करने के संबंध में एजेण्डा में एक प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में लिये गये निर्णय इस प्रकार हैं –

<u>मेसर्स सिएना इंजीनियरिंग प्रा.लि. यूनिट–2, पीथमपुर जिला धार</u> – इकाई द्वारा योजनान्तर्गत विलंब से किये गये आवेदन एवं विलंब के संबंध में शपथ–पत्र पर प्रस्तुत जानकारी के अनुसार समिति द्वारा विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि इकाई के पक्ष में योजनान्तर्गत पंजीयन जारी किया जावे, परन्तु इकाई को सुविधा का लाभ पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के दिनांक 31.12.2007 से प्राप्त होगा एवं पात्रता अवधि की गणना उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक 21.03.2006 से की जावेगी।

<u>मेसर्स अडानी विल्मार लिमिटेड, शुजालपुर जिला शाजापुर</u> – इकाई के सन्दर्भ में वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा यह आपत्ति ली गई है कि यह एक पुरानी क्रय की गई इकाई है अतः इसे उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना 2004 अन्तर्गत पात्रता होगी अथवा नहीं इस संबंध में विचार किये जाने के उपरांत निर्णय लिया जावे।

इकाई की स्थिति इस प्रकार है कि मेसर्स अडानी विल्मार लिमिटेड द्वारा शुजालपुर में पूर्व से स्थापित एक इकाई मेसर्स शिव सॉल्वेंट को क्रय कर उसमें नवीन पूंजी निवेश के साथ विस्तार किया गया है तथा इकाई द्वारा किये गये विस्तार पर उद्योग निवेश संवर्धन सहायता की सुविधा चाही गई है, जिसके लिये किया गया समस्त पूंजी निवेश नवीन है। इकाई के संबंध में वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त शाजापुर द्वारा जारी कर समाशोधन प्रमाण पत्र क्रमांक वाक/सामान्य/1/12/940 शाजापुर दिनांक 19.04.2012 से अवगत कराया गया है कि मेसर्स शिव सॉल्वेंट एक्स्ट्रेक्शन प्रा.लि., शुजालपुर पर आज दिनांक में वैट/सीएसटी/प्रवेश कर की किसी तरह की देयता नहीं है, साथ ही शीर्ष स्तरीय निवेश संवर्धन साधिकार समिति द्वारा एफ–16–31/2010/बी/ग्यारह, भोपाल दिनांक 29.11.2010 से इकाई के पक्ष में सुविधाओं का पैकेज जारी किया गया है जिसके अनुसार इकाई को अन्य सुविधाओं के साथ नीति के अनुरूप उद्योग निवेश संवर्धन सहायता भी स्वीकृत की गई है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में समिति द्वारा विलंब से किये गये आवेदन एवं विलंब के संबंध में शपथ–पत्र पर प्रस्तुत जानकारी के अनुसार विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि इकाई के पक्ष में योजनान्तर्गत विस्तार हेतु पंजीयन जारी किया जावे, परन्तु इकाई को सुविधा का लाभ पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के दिनांक 12.12.2011 से प्राप्त होगा एवं पात्रता अवधि की गणना उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक 24.07.2010 से की जावेगी।

4. **<u>एजेण्डा क्रमांक–4 : मेसर्स रूचि सोया, दालोदा, जिला मन्दसौर</u>** – वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिए इकाई का प्रथम क्लेम प्रकरण समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा प्रकरण के सन्दर्भ में अवगत कराया गया कि वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्र. ए–5–5–07–1–5(2) दिनांक 04.01.2008 एवं ए–3–28–09–1–V(19) दिनांक 03.08.2009 द्वारा सोयाबीन/मस्टर्ड एवं कॉटन को कच्चा माल के रूप में उपयोग करने वाली इकाईयों को स्त्रोत पर कर की कटौती के रूप में नोशनल इनपुट टैक्स रिबेट के प्रावधान लागू हैं अतः उनसे संबंधित निर्मित उत्पादों की बिक्री पर देय कर के संबंध में, स्त्रोत पर काटी गई राशि से अधिक किये गये कर के भुगतान के आधार पर ही निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत किया जाना उपयुक्त होगा। अतः ऐसे प्रकरणों में इकाई द्वारा चुकाये गये कर तथा उसके द्वारा स्त्रोत पर काटी गई राशि की पुष्टि किये जाने की आवश्यकता है।

अतः समिति द्वारा विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया कि वाणिज्यिक कर विभाग इकाई द्वारा टीडीएस के रूप में रोकी गई राशि तथा इकाई को प्रदान की जा सकने वाली निवेश संवर्धन सहायता राशि के संबंध में स्थिति स्पष्ट करने के उपरान्त प्रकरण पुनः आगामी समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाये।

5. **<u>एजेण्डा क्रमांक–5</u> : मेसर्स कमिंस टेक्नॉलॉजीज इण्डिया लिमिटेड, (पूर्व नाम टाटा होलसेट लि), देवास –** वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु द्वितीय विस्तार हेतु प्राप्त यह तृतीय क्लेम है। बैठक के दौरान प्रकरण पर समिति द्वारा विचारोपरांत स्वीकृति प्रदान की गई थी परंतु वाणिज्यिक कर विभाग के पत्र क्र. 11/10/उ.सं.स.यो. 04/2012/383, इन्दौर दिनांक 12.07.2012 द्वारा संभागीय उपायुक्त, वाणिज्यिक कर का प्रतिवेदन प्राप्त न होने के आधार पर प्रकरण लंबित रखने हेतु अनुरोध किया गया है। उल्लेखनीय है कि इकाई के पक्ष में वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा कर निर्धारण आदेश तथा कर पुष्टि आदेश जारी किये जाने के उपरांत ही प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है अतः ऐसी स्थिति में वाणिज्यिक कर विभाग के अन्य अधिकारी की रिपोर्ट के अभाव में प्रकरण लंबित किया जाना औचित्यपूर्ण प्रतीत नहीं होता।

अतः इकाई द्वारा किये गये द्वितीय विस्तार के अन्तर्गत वर्ष 2007–08 हेतु कुल चुकाये गये कर रू. 1,45,74,726.00 का 75 प्रतिशत अर्थात् रू. 1,09,31,044.00 (रू. एक करोड़ नौ लाख इकत्तीस हजार चौवालीस मात्र) उद्योग निवेश संवर्धन सहायता हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है। इकाई के पक्ष में वर्ष 2005–06 एवं 2006–07 हेतु पूर्व में स्वीकृत राशि रू.

2,59,09,640.00 एवं वर्ष 2007–08 हेतु वर्तमान में स्वीकृत क्लेम की राशि रू. 1,09,31,044. 00 इस प्रकार कुल रू. 3,68,40,685.00 स्वीकृत किये जाने के पश्चात् शेष अवधि के लिए रू. 18,69,55,534.00 सहायता राशि शेष रहेगी।

6. **एजेण्डा क्रमांक–6 :मेसर्स पेन्टागॉन लेब्स लिमिटेड, देवास –** वित्तीय वर्ष 2007–08 के लिए इकाई द्वारा किये गये विस्तार के अन्तर्गत द्वितीय वर्ष का क्लेम प्रकरण समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। इकाई द्वारा विस्तार अन्तर्गत दिनांक 15.05.2006 से उत्पादन प्रारंभ किया गया है।

महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, देवास द्वारा इकाई के पक्ष में वर्ष 2007–08 हेतु जमा कर राशि रू. 24,53,056.00 (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) का 50 प्रतिशत अर्थात रू. 12,26,528.00 निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत किये जाने की अनुशंसा की गई है।

समिति के समक्ष प्रस्तुत इकाई का वर्ष 2007–08 के लिए यह द्वितीय क्लेम प्रकरण है। इकाई को वर्ष 2006–07 के लिए प्रथम क्लेम के रूप में रू. 9,47,026.00 सहायता राशि प्राप्त हो चुकी है। प्रथम क्लेम की स्वीकृति के दौरान समिति द्वारा इकाई का स्थायी पूंजी निवेश रू. 5,56,76,858.00 पात्रता अवधि दिनांक 15.05.2006 से 14.05.2011 (5 वर्ष) तथा सुविधा की मात्रा 50 प्रतिशत स्वीकृत की जा चुकी है।

समिति द्वारा विचारोपरांत वर्ष 2007–08 के लिए, एजेण्डा में उल्लेखित पंजीकृत उत्पादों के विक्रय पर कुल चुकाये गये कर रू. 24,53,056.00 (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) का 50 प्रतिशत अर्थात् रू. 12,26,528.00 (रूपये बारह लाख छब्बीस हजार पाँच सौ अठाईस मात्र) निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई। इकाई के पक्ष में वर्ष 2006–07 के प्रथम क्लेम राशि रू. 9,47,026.00 एवं वर्ष 2007–08 के वह द्वितीय क्लेम हेतु सहायता राशि रू. 12,26,528.00 कुल 21,73,554.00 स्वीकृत किये जाने के पश्चात् शेष अवधि के लिए सुविधा की मात्रा रू. 5,35,03,304.00 शेष रहेगी।

7. **एजेण्डा क्रमांक–7 :मेसर्स कृष्णा फॉस्केम लिमिटेड, मेघनगर जिला झाबुआ –** वित्तीय वर्ष 2009–10 अन्तर्गत नवीन इकाई के लिए चतुर्थ वर्ष का क्लेम प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। इकाई द्वारा दिनांक 19.12.2005 से उत्पादन प्रारंभ किया गया है।

महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, झाबुआ द्वारा इकाई के पक्ष में वर्ष 2009–10 हेतु जमा कर राशि रू. 2,96,60,133.00 (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) का 50 प्रतिशत अर्थात रू. 1,48,30,066.00 निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत किये जाने की अनुशंसा की गई है।

समिति के समक्ष प्रस्तुत इकाई का वर्ष 2009–10 के लिए यह चतुर्थ क्लेम प्रकरण है। इकाई को क्रमशः वर्ष 2006–07, 2007–08 एवं 2008–09 के लिए क्रमशः रू. 25,91,460.00, 36,34,307.00 एवं 95,92,691.00 इस प्रकार कुल रू. 1,58,18,458.00 सहायता राशि प्राप्त हो चुकी है। प्रथम क्लेम की स्वीकृति के दौरान समिति द्वारा इकाई का स्थायी पूंजी निवेश रू. 6,65,83,000.00 पात्रता अवधि दिनांक 19.12.2005 से 18.12. 2010 (5 वर्ष) तथा सुविधा की मात्रा 50 प्रतिशत स्वीकृत की जा चुकी है।

समिति द्वारा विचारोपरांत वर्ष 2009–10 के लिए, एजेण्डा में उल्लेखित पंजीकृत उत्पादों के विक्रय पर कुल चुकाये गये कर रू. 2,95,53,667.00 (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर एवं आईटीआर की राशि को छोड़कर) का 50 प्रतिशत अर्थात् रू. 1,47,76,833.00 (रूपये एक करोड़ सैंतालीस लाख छिहत्तर हजार आठ सौ तैंतीस मात्र) निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई। इकाई के पक्ष में यह चतुर्थ क्लेम हेतु सहायता राशि कुल राशि रू. 1,47,76,833.00 एवं पूर्व वर्षों की राशि रू. 1,58,18,458.00 कुल रू. 3,05,95,291.00 स्वीकृत किये जाने के पश्चात् शेष अवधि के लिए सुविधा की मात्रा रू. 3,59,87,709.00 शेष रहेगी।

8. **<u>एजेण्डा क्रमांक–8 :मेसर्स पॉलिमर पैकेजिंग, पीथमपुर जिला धार –</u>** वित्तीय वर्ष 2009–10 अन्तर्गत नवीन इकाई के लिए द्वितीय वर्ष का क्लेम प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। इकाई द्वारा दिनांक 05.03.2009 से उत्पादन प्रारंभ किया गया है।

महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, पीथमपुर जिला धार द्वारा इकाई के पक्ष में वर्ष 2009–10 हेतु जमा कर राशि रू. 41,72,145.00 (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) का 75 प्रतिशत अर्थात रू. 31,29,109.00 निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत किये जाने की अनुशंसा की गई है।

समिति के समक्ष प्रस्तुत इकाई का वर्ष 2009–10 के लिए यह द्वितीय क्लेम प्रकरण है। इकाई को प्रथम वर्ष 2008–09 के लिए रू. 1,43,993.00 सहायता राशि प्राप्त हो चुकी है। प्रथम क्लेम की स्वीकृति के दौरान समिति द्वारा इकाई का स्थायी पूंजी निवेश रू. 15,89,62,128.00 पात्रता अवधि दिनांक 05.03.2009 से 04.03.2019 (10 वर्ष) तथा सुविधा की मात्रा 75 प्रतिशत स्वीकृत की जा चुकी है।

समिति द्वारा विचारोपरांत वर्ष 2009–10 के लिए, एजेण्डा में उल्लेखित पंजीकृत उत्पादों के विक्रय पर कुल चुकाये गये कर रू. 41,72,145.00 (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) का 75 प्रतिशत अर्थात् रू. 31,29,109.00 (रूपये इकत्तीस लाख उन्तीस हजार एक सौ नौ मात्र) निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई। इकाई के पक्ष में यह द्वितीय क्लेम हेतु सहायता राशि रू. 31,29,109.00 एवं पूर्व राशि रू. 1,43,993.00 कुल

32,73,102.00 स्वीकृत किये जाने के पश्चात् शेष अवधि के लिए सुविधा की मात्रा रू. 15,56,89,026.00 शेष रहेगी।

9. **<u>एजेण्डा क्रमांक–9 :मेसर्स धानुका एक्स्ट्रेक्शन प्रा.लि., नीमच –</u>** वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिए इकाई का द्वितीय क्लेम प्रकरण समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा प्रकरण के सन्दर्भ में अवगत कराया गया कि वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्र. ए–5–5–07–1–5(2) दिनांक 04.01.2008 एवं ए–3–28–09–1–V(19) दिनांक 03.08.2009 द्वारा सोयाबीन/मस्टर्ड एवं कॉटन को कच्चा माल के रूप में उपयोग करने वाली इकाईयों को स्त्रोत पर कर की कटौती के रूप में नोशनल इनपुट टैक्स रिबेट के प्रावधान लागू हैं अतः उनसे संबंधित निर्मित उत्पादों की बिक्री पर देय कर के संबंध में, स्त्रोत पर काटी गई राशि से अधिक किये गये कर के भुगतान के आधार पर ही निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत किया जाना उपयुक्त होगा। अतः ऐसे प्रकरणों में इकाई द्वारा चुकाये गये कर तथा उसके द्वारा स्त्रोत पर काटी गई राशि की पुष्टि किये जाने की आवश्यकता है।

अतः समिति द्वारा विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया कि वाणिज्यिक कर विभाग इकाई द्वारा टीडीएस के रूप में रोकी गई राशि तथा इकाई को प्रदान की जा सकने वाली निवेश संवर्धन सहायता राशि के संबंध में स्थिति स्पष्ट करने के उपरान्त प्रकरण पुनः आगामी समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाये।

10. **<u>एजेण्डा क्रमांक–10 :मेसर्स बंसल एक्स्ट्रेक्शन एण्ड एक्सपोर्ट प्रा.लि., मण्डीदीप जिला रायसेन –</u>** वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिए इकाई का प्रथम क्लेम प्रकरण समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा प्रकरण के सन्दर्भ में अवगत कराया गया कि वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्र. ए–5–5–07–1–5(2) दिनांक 04.01.2008 एवं ए–3–28–09–1–V(19) दिनांक 03.08.2009 द्वारा सोयाबीन/मस्टर्ड एवं कॉटन को कच्चा माल के रूप में उपयोग करने वाली इकाईयों को स्त्रोत पर कर की कटौती के रूप में नोशनल इनपुट टैक्स रिबेट के प्रावधान लागू हैं अतः उनसे संबंधित निर्मित उत्पादों की बिक्री पर देय कर के संबंध में, स्त्रोत पर काटी गई राशि से अधिक किये गये कर के भुगतान के आधार पर ही निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत किया जाना उपयुक्त होगा। अतः ऐसे प्रकरणों में इकाई द्वारा चुकाये गये कर तथा उसके द्वारा स्त्रोत पर काटी गई राशि की पुष्टि किये जाने की आवश्यकता है।

अतः समिति द्वारा विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया कि वाणिज्यिक कर विभाग इकाई द्वारा टीडीएस के रूप में रोकी गई राशि तथा इकाई को प्रदान की जा सकने वाली निवेश संवर्धन सहायता राशि के संबंध में स्थिति स्पष्ट करने के उपरान्त प्रकरण पुनः आगामी समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाये।

11. **<u>एजेण्डा क्रमांक–11 : मेसर्स ट्राईडेन्ट लि. (पूर्व नाम मेसर्स अभिषेक इण्डस्ट्रीज लिमिटेड), बुधनी जिला सीहोर –</u>** वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिए इकाई का प्रथम क्लेम प्रकरण समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा प्रकरण के सन्दर्भ में अवगत कराया गया कि वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्र. ए–5–5–07–1–5(2) दिनांक 04.01.2008 एवं ए–3–28–09–1–V(19) दिनांक 03.08.2009 द्वारा सोयाबीन/मस्टर्ड एवं कॉटन को कच्चा माल के रूप में उपयोग करने वाली इकाईयों को स्त्रोत पर कर की कटौती के रूप में नोशनल इनपुट टैक्स रिबेट के प्रावधान लागू हैं अतः उनसे संबंधित निर्मित उत्पादों की बिक्री पर देय कर के संबंध में, स्त्रोत पर काटी गई राशि से अधिक किये गये कर के भुगतान के आधार पर ही निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत किया जाना उपयुक्त होगा। अतः ऐसे प्रकरणों में इकाई द्वारा चुकाये गये कर तथा उसके द्वारा स्त्रोत पर काटी गई राशि की पुष्टि किये जाने की आवश्यकता है।

अतः समिति द्वारा विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया कि वाणिज्यिक कर विभाग इकाई द्वारा टीडीएस के रूप में रोकी गई राशि तथा इकाई को प्रदान की जा सकने वाली निवेश संवर्धन सहायता राशि के संबंध में स्थिति स्पष्ट करने के उपरान्त प्रकरण पुनः आगामी समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाये।

12. **<u>एजेण्डा क्रमांक–12 : मेसर्स ट्राईडेन्ट लि. (पूर्व नाम मेसर्स अभिषेक इण्डस्ट्रीज लिमिटेड), बुधनी जिला सीहोर –</u>** वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिए इकाई का द्वितीय क्लेम प्रकरण समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा पत्र क्र. 11/10/उ. सं.स.यो. 04/2012/383, इन्दौर दिनांक 12.07.2012 से अवगत कराया गया है कि इकाई के पक्ष में वर्ष 2010–11 हेतु कर निर्धारण आदेश जारी नहीं किया गया है एवं इस आधार पर प्रकरण में वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा अभिमत प्रस्तुत नहीं किया गया है। **उल्लेखनीय है कि उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना 2004 की कण्डिका क्रमांक 8.16 के अनुसार प्रथम वर्ष में क्लेम जमा की गई राशि के रिटर्न के आधार पर तथा द्वितीय वर्ष से यह राशि पूर्ववर्ती वर्ष के वास्तविक कर निर्धारण आदेश के आधार पर किये जाने का प्रावधान है।** विचाराधीन प्रकरण वर्ष 2010–11 के लिए है तथा वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा इकाई के पक्ष में वर्ष 2009–10 (पूर्ववर्ती वर्ष) हेतु कर निर्धारण आदेश एवं 2010–11 हेतु कर पुष्टि आदेश जारी किया जा चुका है। योजनान्तर्गत वर्णित शर्तें पूर्ण होने के उपरांत की प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्तानुसार स्थिति के दृष्टिगत प्रकरण विचाराधीन वर्ष हेतु कर निर्धारण आदेश के अभाव में विलंबित किया जाना औचित्यपूर्ण नहीं है।

समिति द्वारा विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया कि आगामी बैठक में इकाई के वर्ष 2010–11 के क्लेम प्रकरण के सन्दर्भ में वाणिज्यिक कर विभाग प्रतिवेदन प्रस्तुत करे ताकि प्रकरण पर उपयुक्त निर्णय लिया जाकर उसका निराकरण किया जा सके।

13. **<u>एजेण्डा क्रमांक–13 :मेसर्स एच.डी. वायर्स प्रा. लि. (गेलवेनाईजिंग डिवीजन), इन्दौर</u>** – वित्तीय वर्ष 2007–08 अन्तर्गत नवीन इकाई के लिए प्रथम वर्ष का क्लेम प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। इकाई द्वारा दिनांक 01.06.2007 से उत्पादन प्रारंभ किया गया है।

महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, इन्दौर द्वारा इकाई के पक्ष में उत्पादन दिनांक तक योजनान्तर्गत मान्य योग्य स्थायी पूंजी निवेश रू. 501.81 लाख मान्य करने एवं वर्ष 2007–08 हेतु जमा कर राशि रू. 28,10,875.00 (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) का 50 प्रतिशत अर्थात रू. 14,05,437.00 निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत किये जाने की अनुशंसा की गई है।

समिति द्वारा विचारोपरांत इकाई द्वारा उत्पादन दिनांक तक राशि रू. 501.81 लाख मान्य किया जाकर इकाई के प्रथम वर्ष 2007–08 के लिए, एजेण्डा में उल्लेखित पंजीकृत उत्पादों के विक्रय पर कुल चुकाये गये कर रू. 28,10,875.00 (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) का 50 प्रतिशत अर्थात् रू. 14,05,437.00 (रूपये चौदह लाख पाँच हजार चार सौ सैंतीस मात्र) निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई। इकाई के पक्ष में यह प्रथम क्लेम हेतु सहायता राशि रू. 14,05,437.00 स्वीकृत किये जाने के पश्चात् शेष अवधि के लिए सुविधा की मात्रा रू. 4,87,75,563.00 शेष रहेगी।

14. **<u>एजेण्डा क्रमांक–14 :मेसर्स एच.डी. वायर्स प्रा. लि. (गेलवेनाईजिंग डिवीजन), इन्दौर</u>** – वित्तीय वर्ष 2008–09 अन्तर्गत नवीन इकाई के लिए द्वितीय वर्ष का क्लेम प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। इकाई द्वारा दिनांक 01.06.2007 से उत्पादन प्रारंभ किया गया है।

महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, इन्दौर द्वारा इकाई के पक्ष में वर्ष 2008–09 हेतु जमा कर राशि रू. 1,03,69,104.00 (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) का 75 प्रतिशत अर्थात रू. 51,84,552.00 निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत किये जाने की अनुशंसा की गई है। इकाई के वर्ष 2007–08 से उत्पादन दिनांक तक योजनान्तर्गत स्थायी पूंजी निवेश रू. 501.81 लाख मान्य किया गया है।

समिति द्वारा विचारोपरांत वर्ष 2008–09 के लिए, एजेण्डा में उल्लेखित पंजीकृत उत्पादों के विक्रय पर कुल चुकाये गये कर रू. 1,03,69,104.00 (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) का 50 प्रतिशत अर्थात् रू. 51,84,552.00 (रूपये इंक्यावन लाख चौरासी हजार पाँच सौ बावन मात्र) निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई। इकाई के पक्ष में यह द्वितीय क्लेम हेतु सहायता राशि रू. 51,84,552.00 पूर्व वर्ष की राशि रू. 14,05,437.00 कुल रू. 65,89,989.00 स्वीकृत किये जाने के पश्चात् शेष अवधि के लिए सुविधा की मात्रा रू. 4,35,91,011.00 शेष रहेगी।

15. **<u>एजेण्डा क्रमांक–15 :मेसर्स जबलपुर पॉलिटेक्स प्रा.लि., जबलपुर –</u>** वित्तीय वर्ष 2010–11 अन्तर्गत नवीन इकाई के लिए प्रथम वर्ष का क्लेम प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। इकाई द्वारा दिनांक 13.10.2010 से उत्पादन प्रारंभ किया गया है।

महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, जबलपुर द्वारा इकाई के पक्ष में उत्पादन दिनांक तक योजनान्तर्गत मान्य योग्य पूंजी निवेश रू. 698.89 लाख मान्य करने एवं वर्ष 2010–11 हेतु जमा कर राशि रू. 22,78,053.00 (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) का 50 प्रतिशत अर्थात रू. 11,39,026.00 निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत किये जाने की अनुशंसा की गई है।

समिति द्वारा विचारोपरांत इकाई के स्थायी पूंजी निवेश का म.प्र. ट्रायफेक स्तर पर परीक्षणोपरांत भूमि मद में योजनान्तर्गत रू. 3.88 लाख अमान्य करते हुए कुल राशि रू. 695.00 लाख मान्य किया गया है म.प्र. ट्रायफेक द्वारा स्थायी पूंजी निवेश में मान्य राशि रू. 695.00 लाख मान्य करते हुए इकाई के प्रथम वर्ष 2010–11 के लिए, एजेण्डा में उल्लेखित पंजीकृत उत्पादों के विक्रय पर कुल चुकाये गये कर रू. 22,78,053.00 (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) का 50 प्रतिशत अर्थात् रू. 11,39,026.00 (रूपये ग्यारह लाख उन्चालिस हजार छब्बीस मात्र) निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई। इकाई के पक्ष में यह प्रथम क्लेम हेतु सहायता राशि रू. 11,39,026.00 स्वीकृत किये जाने के पश्चात् शेष अवधि के लिए सुविधा की मात्रा रू. 6,83,60,974.00 शेष रहेगी।

16. **<u>एजेण्डा क्रमांक–16 :मेसर्स इंडियन सोया इण्डस्ट्रीज लिमिटेड यूनिट–2, इन्दौर –</u>** वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिए इकाई का द्वितीय क्लेम प्रकरण समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा प्रकरण के सन्दर्भ में अवगत कराया गया कि वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्र. ए–5–5–07–1–5(2) दिनांक 04.01.2008 एवं ए–3–28–09–1–V(19) दिनांक 03.08.2009 द्वारा सोयाबीन/मस्टर्ड एवं कॉटन को कच्चा माल के रूप में उपयोग करने वाली इकाईयों को स्त्रोत पर कर की कटौती के रूप में नोशनल इनपुट टैक्स रिबेट के प्रावधान लागू हैं अतः उनसे संबंधित निर्मित उत्पादों की बिक्री पर देय कर के संबंध में, स्त्रोत पर काटी गई राशि से अधिक किये गये कर के भुगतान के आधार पर ही निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत किया जाना उपयुक्त होगा। अतः ऐसे प्रकरणों में इकाई द्वारा चुकाये गये कर तथा उसके द्वारा स्त्रोत पर काटी गई राशि की पुष्टि किये जाने की आवश्यकता है।

अतः समिति द्वारा विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया कि वाणिज्यिक कर विभाग इकाई द्वारा टीडीएस के रूप में रोकी गई राशि तथा इकाई को प्रदान की जा सकने वाली

निवेश संवर्धन सहायता राशि के संबंध में स्थिति स्पष्ट करने के उपरान्त प्रकरण पुनः आगामी समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाये।

17. **एजेण्डा क्रमांक–17 : मेसर्स भास्कर व्यंकटेश प्रॉडक्ट प्रा. लि., भोपाल –** इकाई का उत्पादन दिनांक 2008–09 है तथा द्वितीय वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु इकाई से प्राप्त यह प्रथम क्लेम है। पंजीयन हेतु विलंब से आवेदन प्राप्त होने के कारण इकाई को प्रथम वित्तीय वर्ष 2007–08 में (अवधि 04.02.2008 से 31.03.2008 तक के लिये) एवं वर्ष 2008–09 में (अवधि 01.04.2008 से 22.06.2008 तक के लिए) सुविधा की पात्रता नहीं है इस कारण इकाई द्वारा प्रथम वित्तीय वर्ष हेतु क्लेम प्रस्तुत नहीं किया गया है। बैठक के दौरान वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा प्रकरण का परीक्षण न हो पाने के कारण प्रकरण विलंबित रखने हेतु अनुरोध किया गया था जिस पर समिति द्वारा दिनांक 13.07.2012 तक वाणिज्यिक कर विभाग को प्रकरण के सन्दर्भ में स्थिति स्पष्ट करने हेतु निर्देश दिये गये थे। वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा अपने पत्र क्र. 11/10/उ.सं.स.यो. 04/2012/383, इन्दौर दिनांक 12.07.2012 से पुनः यह अवगत कराया है कि संभागीय उपायुक्त से प्रतिवेदन प्राप्त न होने के कारण प्रकरण लंबित रखा जाये। उल्लेखनीय है कि इकाई के पक्ष में वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा कर निर्धारण आदेश तथा कर पुष्टि आदेश जारी किये जाने के उपरांत ही प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है अतः ऐसी स्थिति में वाणिज्यिक कर विभाग से पुनः प्रतिवेदन के अभाव में प्रकरण लंबित किया जाना औचित्यपूर्ण नहीं है।

समिति द्वारा विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया कि आगामी बैठक में इकाई के वर्ष 2008–09 के क्लेम प्रकरण के सन्दर्भ में वाणिज्यिक कर विभाग प्रतिवेदन प्रस्तुत करे ताकि प्रकरण पर उपयुक्त निर्णय लिया जाकर उसका निराकरण किया जा सके।

18. **एजेण्डा क्रमांक–18 :मेसर्स पोरवाल ऑटो कम्पोनेन्ट्स लिमिटेड, पीथमपुर जिला धार** – इकाई से तृतीय वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्त यह द्वितीय क्लेम है। बैठक के दौरान वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा प्रकरण का परीक्षण न हो पाने के कारण प्रकरण विलंबित रखने हेतु अनुरोध किया गया था जिस पर समिति द्वारा दिनांक 13.07.2012 तक वाणिज्यिक कर विभाग को प्रकरण के सन्दर्भ में स्थिति स्पष्ट करने हेतु निर्देश दिये गये थे। वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा अपने पत्र क्र. 11/10/उ.सं.स.यो. 04/2012/383, इन्दौर दिनांक 12.07.2012 से पुनः यह अवगत कराया है कि संभागीय उपायुक्त से प्रतिवेदन प्राप्त न होने के कारण प्रकरण लंबित रखा जाये। उल्लेखनीय है कि इकाई के पक्ष में वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा कर निर्धारण आदेश तथा कर पुष्टि आदेश जारी किये जाने के उपरांत ही प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है अतः ऐसी

स्थिति में वाणिज्यिक कर विभाग से पुनः प्रतिवेदन के अभाव में प्रकरण लंबित किया जाना औचित्यपूर्ण नहीं है।

समिति द्वारा विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया कि आगामी बैठक में इकाई के वर्ष 2009–10 के क्लेम प्रकरण के सन्दर्भ में वाणिज्यिक कर विभाग प्रतिवेदन प्रस्तुत करे ताकि प्रकरण पर उपयुक्त निर्णय लिया जाकर उसका निराकरण किया जा सके।

19. **एजेण्डा क्रमांक–19 :मेसर्स त्रिमुला इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सिंगरौली** – वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु इकाई से प्राप्त यह तृतीय क्लेम है। वर्ष 2007–08 एवं 2008–09 हेतु इकाई को क्लेम के रूप में कुल सहायता रू. 2,86,71,737.00 प्राप्त हो चुकी है। इकाई के पक्ष में यह क्लेम प्रकरण में वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा वर्ष 2009–10 हेतु जारी कर पुष्टि आदेश एवं कर निर्धारण आदेश के आधार पर समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है। इकाई के पक्ष में जारी कर पुष्टि आदेश के अनुसार वर्ष 2009–10 में इकाई द्वारा स्पंज आयरन के 46932.80 मी.टन विक्रय पर कुल चुकाये गये कर रू. 1,36,60,535.00 (जिसमें कच्चे माल पर चुकाये गये कर की राशि सम्मिलित नहीं है) की 75 प्रतिशत निवेश संवर्धन सहायता रू. 1,03,95,399.00 हेतु प्रकरण समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था परंतु वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा अपने पत्र क्र. 11/10/उ.सं.स.यो. 04/2012/383, इन्दौर दिनांक 12.07.2012 से इकाई के पक्ष में निर्मित उत्पादों पर देय कर रू. 1,39,62,209.00 के विरूद्ध आईटीआर राशि रू. 68,72,123.00 के समायोजन उपरांत शेष कर राशि रू. 70,90,086.00 पर 75 प्रतिशत की दर से निवेश संवर्धन सहायता रू. 53,17,565.00 हेतु सहमति व्यक्त की गई है। उल्लेखनीय है कि इकाई के पक्ष में वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा कर निर्धारण आदेश तथा कर पुष्टि आदेश के आधार पर ही प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था अतः अब इसमें संशोधन किये जाने का आधार एवं औचित्य स्पष्ट नहीं है।

समिति द्वारा विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया कि प्रकरण आगामी बैठक में पुनः विचारार्थ प्रस्तुत किया जाये जिसमें वाणिज्यिक कर विभाग, इकाई के पक्ष में कम की जा रही निवेश संवर्धन सहायता राशि के सन्दर्भ में औचित्य स्पष्ट करते हुए तथ्य प्रस्तुत किये जायें।

20. **एजेण्डा क्रमांक–20 :मेसर्स सुन्दरम पैकेजिंग इण्डिया प्रा.लि., पीथमपुर जिला धार** – वित्तीय वर्ष 2010–11 अन्तर्गत नवीन इकाई के लिए तृतीय वर्ष का क्लेम प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। इकाई द्वारा दिनांक 29.12.2008 से उत्पादन प्रारंभ किया गया है।

महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, पीथमपुर जिला धार द्वारा इकाई के पक्ष में वर्ष 2010–11 हेतु जमा कर राशि रू. 1,42,23,737.00 (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) का 75 प्रतिशत अर्थात रू. 1,06,67,803.00 निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत किये जाने की अनुशंसा की गई है।

समिति के समक्ष प्रस्तुत इकाई का वर्ष 2010–11 के लिए यह तृतीय क्लेम प्रकरण है। इकाई को क्रमशः वर्ष 2008–09 एवं 2009–10 के लिए क्रमशः रू. 3,65,769.00 एवं 77,69,145.00 इस प्रकार कुल 81,34,914.00 सहायता राशि प्राप्त हो चुकी है। प्रथम क्लेम की स्वीकृति के दौरान समिति द्वारा इकाई का स्थायी पूंजी निवेश रू. 18,32,95,125.00 पात्रता अवधि दिनांक 29.12.2008 से 28.12.2018 (10 वर्ष) तथा सुविधा की मात्रा 75 प्रतिशत स्वीकृत की जा चुकी है।

समिति द्वारा विचारोपरांत वर्ष 2010–11 के लिए, एजेण्डा में उल्लेखित पंजीकृत उत्पादों के विक्रय पर कुल चुकाये गये कर रू. 1,42,23,737.00 (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर एवं आईटीआर की राशि को छोड़कर) का 75 प्रतिशत अर्थात् रू. 1,06,67,803.00 (रूपये एक करोड़ छः लाख सड़सठ हजार आठ सौ तीन मात्र) निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई। इकाई के पक्ष में यह तृतीय क्लेम हेतु सहायता राशि रू. 1,06,67,803.00 एवं पूर्व वर्षों की राशि रू. 81,34,914.00 कुल रू. 1,88,02,717.00 स्वीकृत किये जाने के पश्चात् शेष अवधि के लिए सुविधा की मात्रा रू. 16,44,92,408.00 शेष रहेगी।

21. **<u>एजेण्डा क्रमांक–21 :मेसर्स यूनिवर्सल केबिल्स लिमिटेड, सतना –</u>** वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिए इकाई द्वारा किये गये तकनीकी उन्नयन सह विस्तार अन्तर्गत तृतीय क्लेम वर्ष का क्लेम प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। इकाई द्वारा तकनीकी उन्नयन सह विस्तार अन्तर्गत दिनांक 29.03.2007 से उत्पादन प्रारंभ किया गया है।

महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, सतना द्वारा इकाई के पक्ष में वर्ष 2009–10 हेतु जमा कर राशि रू. 2,87,41,878.00 (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) का 75 प्रतिशत अर्थात रू. 2,15,56,408.00 निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत किये जाने की अनुशंसा की गई है।

समिति के समक्ष प्रस्तुत इकाई का वर्ष 2009–10 के लिए यह तृतीय क्लेम प्रकरण है। इकाई को क्रमशः वर्ष 2007–08 एवं 2008–09 के लिए क्रमशः रू. 2,61,93,863.00 एवं 3,50,50,024.00 इस तरह कुल रू. 6,12,43,887.00 सहायता राशि प्राप्त हो चुकी है। द्वितीय क्लेम की स्वीकृति के दौरान समिति द्वारा इकाई का अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश जोड़ने के पश्चात् इकाई का तकनीकी उन्नयन सह विस्तार अन्तर्गत किया गया कुल स्थायी पूंजी

निवेश रू. 6596.62 लाख मान्य किया गया है तथा पात्रता अवधि दिनांक 29.03.2007 से 28.03.2014 (7 वर्ष) तथा सुविधा की मात्रा 75 प्रतिशत स्वीकृत की जा चुकी है।

समिति द्वारा विचारोपरांत वर्ष 2009–10 के लिए, एजेण्डा में उल्लेखित पंजीकृत उत्पादों के विक्रय पर कुल चुकाये गये कर रू. 2,87,41,878.00 (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) का 75 प्रतिशत अर्थात् रू. 2,15,56,408.00 (रूपये दो करोड़ पन्द्रह लाख छप्पन हजार चार सौ आठ मात्र) निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई। इकाई के पक्ष में यह तृतीय क्लेम हेतु सहायता राशि रू. 2,15,56,408.00 एवं पूर्व वर्षों की राशि रू. 6,12,43,887.00 कुल रू. 8,28,00,295.00 स्वीकृत किये जाने के पश्चात् शेष अवधि के लिए सुविधा की मात्रा रू. 57,68,61,705.00 शेष रहेगी।

22. **<u>एजेण्डा क्रमांक–22 :मेसर्स नेशनल स्टील एण्ड एग्रो इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, यूनिट–2, जिला धार –</u>** वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिए इकाई द्वारा किये गये विस्तार एवं डायवर्सिफिकेशन अन्तर्गत छठवां वर्ष का क्लेम प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। इकाई द्वारा विस्तार अन्तर्गत दिनांक 04.11.2004 से उत्पादन प्रारंभ किया गया है।

महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, धार द्वारा इकाई के पक्ष में वर्ष 2009–10 हेतु जमा कर राशि रू. 7,01,23,779.00 (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) का 75 प्रतिशत अर्थात रू. 5,25,92,834.00 निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत किये जाने की अनुशंसा की गई है।

समिति के समक्ष प्रस्तुत इकाई का वर्ष 2009–10 के लिए यह छठवां क्लेम प्रकरण है। इकाई को क्रमशः वर्ष 2004–05, 05–06, 06–07, 07–08 एवं 2008–09 के लिए क्रमशः रू. 90,47,180.00, रू. 1,60,11,806.00, रू. 2,99,51,093.00 रू. 4,56,24,300.00 एवं रू. 4,31,20,820.00 इस तरह कुल रू. 14,37,55,199.00 सहायता राशि प्राप्त हो चुकी है। प्रथम क्लेम की स्वीकृति के दौरान समिति द्वारा इकाई का स्थायी पूंजी निवेश रू. 98,97,19,000.00 पात्रता अवधि दिनांक 04.11.2004 से 03.11.2014 (10 वर्ष) तथा सुविधा की मात्रा 75 प्रतिशत स्वीकृत की जा चुकी है।

समिति द्वारा विचारोपरांत वर्ष 2009–10 के लिए, एजेण्डा में उल्लेखित पंजीकृत उत्पादों के विक्रय पर कुल चुकाये गये कर रू. 7,01,23,779.00 (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) का 75 प्रतिशत अर्थात् रू. 5,25,92,834.00 (रूपये पाँच करोड़ पच्चीस लाख ब्यानवे हजार आठ सौ चौंतीस मात्र) निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई। इकाई के पक्ष में यह छठवें क्लेम हेतु सहायता राशि रू. 5,25,92,834.00 एवं पूर्व वर्षों की

राशि रू. 14,37,55,199.00 कुल रू. 19,63,48,033.00 स्वीकृत किये जाने के पश्चात् शेष अवधि के लिए सुविधा की मात्रा रू. 79,33,70,967.00 शेष रहेगी।

सभी सदस्यों को धन्यवाद् ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

(अरूण कुमार भट्ट)
प्रबंध संचालक
म.प्र. ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एमपीएसआईडीसी एवं सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय उद्योग निवेश संवर्धन सहायता समिति

(पी.के. दाश)
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग एवं अध्यक्ष, राज्य स्तरीय उद्योग निवेश संवर्धन सहायता समिति

परिशिष्ट–1

राज्य स्तरीय उद्योग निवेश संवर्धन सहायता समिति की सत्रहवीं बैठक दिनांक 09.07.2012 में उपस्थित अधिकारियों की सूची

———————————

क्र.	नाम	पदनाम एवं विभाग
1	श्री पी.के. दाश	अपर मुख्य सचिव, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग एवं अध्यक्ष राज्य स्तरीय समिति
2.	श्री राजेश चतुर्वेदी	उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश, सदस्य
3	श्री अरूण कुमार भट्ट	प्रबंध संचालक, एम.पी. ट्रायफेक/एमपी.एस.आई.डी.सी, सदस्य सचिव
4	श्री बी.बी. भारद्वाज	उप सचिव, वित्त
अन्य उपस्थित अधिकारी		
1	श्री ए.के. मिश्रा	अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इन्दौर
2	श्री सी.एस. धुर्वे	मुख्य महाप्रबंधक, एम.पी. ट्रायफेक